राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय नूरपुर जिला काँगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2013

भाग–एक

1 **(i)** प्रस्तावनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय नूरपुर में आहरण एंव वितरण अधिकारी के पदो पर कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री हरदेव कटोच	23–07–2007 से 31–03–2012
2	श्री आर0एस0गिल (officiating)	27–04–2012 से 19–09–2012
3	श्री रविन्दं सिह पठानिया	20–09–2012 से 16–08–2013

(ii) संस्था का गत तीन वर्षो का आय–व्यय विवरण निम्नानुसार थाः–

वर्ष	आय	व्यय	शेष
2010–11	1320051	540459	779592
2011–12	1630180	632161	998019
2012–13	1648343	641822	1006521

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निपटारे हेतु अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा पैरों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) <u>अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2008:–</u>

1	पैरा 3	निर्णीत	(कृत कार्रवाई व अभिलेख की जाँच उपरान्त)
2	पैरा 4 (1)	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
3	पैरा 4 (2)	निर्णीत	(राशि दिनाँक 5–2–14 को जमा करवा दी गई)
4	पैरा 5	निर्णीत	(जाँच व गणना उपरान्त ₹39805 दिनाँक 6–2–14 को जमा करवाई गई)
5	पैरा 6	निर्णीत	(कृत कार्रवाई व वसूली देख ली गई है)
6	पैरा 7	निर्णीत	(राशि दिनाँक 22–12–09 को जमा करवा दी गई)
7	पैरा 8	निर्णीत	(राशि दिनाँक 22–12–09 को जमा करवा दी गई)

8	पैरा 9	निर्णीत	(राशि दिनाँक 22–12–09 को जमा करवा दी गई)
9	पैरा 10	निर्णीत	(₹32674 दिनाँक 6–02–14 को मिश्रित निधि में जमा करवा दी गई)
10	पैरा 11	निर्णीत	(राशि दिनाँक 22–12–09 को जमा करवा दी गई)
11	पैरा 12	निर्णीत	(कार्रवाई की जाँच उपरान्त)

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

महाविद्यालय के वर्तमान निधि लेखों (अवधि 4/08 से 3/13) का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनाँक 23–01–2014 से 18–02–2014 के दौरान नूरपुर में किया गया। माह 6/08, 7/09, 11/10, 6/11 व 6/12 के लेखों का चयन की आय विस्तृत जाँच के लिए तथा माह 3/09, 3/10, 12/10, 3/12 व 12/12 के लेखों को चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गए सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध किसी भी प्रकार की गलत सूचना या जो सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

महाविद्यालय के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की वार्षिक प्राप्तियों (निधियों+संचायिका) के आधार पर निम्न विवरणानुसार ₹35000/– बनता है।

वर्ष	निधियों से आय	संचायिका से आय	कुलयोग	अंकेक्षण शुल्क
2008–09	423279	13100	436379	7000
2009–10	615343	18160	633503	7000
2010–11	1294851	25200	1320051	7000
2011–12	1600040	30140	1630180	7000
2012–13	1623163	25180	1648343	7000
			कुल योग	**₹35000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे बैक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अधियाचना सं0 61 दिनाँक 27–01–14 द्वारा अनुरोध किया गया तथा प्रधानाचार्य द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या 876068 दिनाँक

06–02–2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को भेज दिया है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(i) राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित है।

(ii) वित्तीय स्थिति के अनुसार राशियों का दिनाँक 31–3–2013 को बैक से मिलान करने पर मिश्रित निधि में ₹42558.84 तथा सी0डी0वी0एफ निधि में ₹493 (हस्तगत ₹8/– तथा अन्य ₹485/–) का अन्तर पाया गया जिसका समायोजन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) महाविद्यालय द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के वार्णित रैड क्रास निधि के अन्तशेष की ₹17938, लीव एप्लिकेशन निधि के अन्तशेष की ₹26223/– तथा विविध निधि के अन्तशेष की ₹5897/– को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय स्थिति में सम्मिलित नही किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति के अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि इन राशियों को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति में न दर्शाकर उक्त राशियों का समायोजन वर्तमान अंकेक्षण की वित्तीय स्थिति में किस प्रकार किया गया है।

5 **बरसर द्वारा अधिकांश विलों को सत्यापित न करने बारेः–**

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय बरसर द्वारा अधिकतर बिलों को सत्यापित नही किया गया हैं जबकि बरसर को प्रति माह ₹250/– का भुगतान किया जा रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है। कि प्रत्येक बिल को बरसर से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चत किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **कामर्स व गणित विद्यार्थियों से कम्पयूटर प्रैक्टिकल के रूप में ₹17100/– की वसूली न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0ए–ख(8) 1/2001 दिनाँक 1–6–2010 के अनुसार (कामर्स व गणित विद्यार्थियों से) कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली नही की गई। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71 दिनाँक 03–02–14 द्वारा महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाया गया जिसके प्रत्युतर में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कामर्स व गणित विषय का प्रैक्टिकल B.COM-III व B.A-III में ही लिया जाता है इसलिए इन विषयों से सम्बन्धित छात्रों से B.COM-I व II तथा B.A-I व II में प्रैक्टिकल फीस की वसूली नही की जाती है। अंकेक्षण

के दौरान यह भी पाया गया कि महाविद्यालय B.COM-III, B.A-III तथा B.A-III (गणित) के 6 छात्रों से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹17100/— की वसूली करके सम्बन्धित निधि के खाते में दिनाँक 5—2—14 को जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई।

क0सं0	वित्तीय वर्ष	कक्षा	छात्रों की संख्या	दर (वार्षिक)	वसूली की राशि
1	2011—12	बी0 काम0—III	24	180/—	4320
2	2011—12	बी0एस0सी0 —III	4	180/—	720
3	2011—12	बी0ए0—III (गणित)	10	180/—	1800
4	2011—13	बी0 काम0—III	27	180/—	4860
5	2011—13	बी0एस0सी0 —III	20	180/—	3600
6	2011—13	बी0ए0—III (गणित)	10	180/—	1800
				कुल योग	₹17100

7 छात्र सहायता निधि के रूप मे ₹14110/— की वसूली न करनाः—

छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008—09 से विद्यार्थियों से छात्र सहायता निधि की निम्न विवरणानुसार ₹14110/— की वसूली नही की गई जबकि निदेशक उच्च शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन0—एच(21) ए (3) 20/2010—वी दिनाँक 03—06—2010 के अनुसार छात्रों से छात्र सहायता निधि के रूप में ₹2 प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। यह मामला महाविद्यालय प्रशासन के सक्षम अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71 दिनाँक 03—02—14 द्वारा उठाया गया तथा महाविद्यालय द्वारा ₹14110/— को छात्र कल्याण निधि से निकाल कर दिनाँक 5—2—14 को छात्र सहायता निधि के खाते में जमा करवा दिया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई।

क0सं0	वित्तीय वर्ष	छात्रों की संख्या	दर (वार्षिक)	वसूल न की गई राशि
1	2008—09	655	2/—	1310
2	2009—10	908	2/—	1816
3	2010—11	1260	2/—	2520
4	2011—12	1507	2/—	3014
5	2012—13	1259	2/—	2518
6	2013—14	1466	2/—	2932
			कुल योग	₹14110

8 **एस0सी0ए0 निधि वसूली के सम्बन्ध में:–**

महाविद्यालय की छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाय गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो से एस0सी0ए0 निधि के रूप में प्रति छात्र से प्रतिवर्ष ₹10 की वसूली की जा रही है जबकि निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच(21)ए(3) 20/2010 वी दिनाँक 03–06–2010 के अनुसार एस0सी0ए0 निधि की वसूली का कोई प्रावधान नही हैं। अतः छात्रों से एस0सी0ए0 निधि की वसूली बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9 **छात्रों से सी0डी0बी0एफ0 निधि की निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली करने बारे:–**

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्रों से सी0डी0बी0एफ0 निधि की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करते हुये निर्धारित दर ₹10 प्रति वर्ष प्रति छात्र के स्थान पर ₹13 प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से वसूली की गई है। इस प्रकार प्रत्येंक छात्र से ₹3 प्रति वर्ष की दर से अधिक वसूली की गई है। अतः सी0डी0बी0एफ0 निधि को निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

10 **छात्र निधियों के बैक बचत खातों में जमा ₹61.00 लाख को सावधि जमा में निवेशित न करने के फलस्वरूप ब्याज के रूप में हुई हानि बारे:–**

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों के बैंक बचत खातों में लगभग ₹61.00 लाख जमा थी जिस पर साधारण दर से ब्याज अर्जित किया जा रहा है जबकि बचत खातों में जमा उक्त राशि में से यदि एक समुचित भाग सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाता तो बचत खातों पर प्राप्त होने वाले साधारण दर से लगभग दुगनी दर पर ब्याज के रूप मे आय प्राप्त हो सकती थी। अतः छात्र निधियों के बैंक बचत खातों में जमा राशि को सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित न करने का कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण में सस्थां स्तर पर आन्तरिक जाँच करके भविष्य में जरूरत के अनुसार ही राशियों की बचत खातों में रखा जाए तथा अधिकय राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 **मिश्रित निधि के किये गए अनियमित व्यय के बारे में :–**

महाविद्यालय के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में मिश्रित निधि से व्यय किए गये जोकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय Ordinance के नियमों के अनुसार इस निधि पर वैद्य प्रभार नही है।

क0स0	वाऊचर संख्या – माह	राशि	उद्धेश्य जिसके लिए मिश्रित निधि से व्यय किया गया
1	54 – 3/09	8460	payment of refreshment changes on eve of prize

			distribution Funcation
2	35 – 11/10	5000	refreshment before 12 days of match for 4 Student @125/-
3	46 – 3/12	1500	Paid to M/S network solution PTK for in tea UPS battery toner & cable
4	51 – 2/12	2366	on A/C of purchase of 2 Patti chalk form M/S sub hash book
5	41 – 2/12	37175	on A/C of purchase of 10,000 Answer sheets @3.35
6	32 – 10/10	886	payment on A/C of rover & ranger camp

अतः मिश्रित निधि से अनियमित रूप से किये उक्त भुगतानों को नियमित करवाने के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त की जाये अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 **भौतिक विज्ञान निधिः–**

वाऊचर संख्या NIL दिनाँक 30/11/12, ₹9817.00

महाविद्यालय द्वारा ₹9817.00 का भुगतान मैसर्ज शिवा इण्डस्ट्रीज काँगडा को उनके बिल संख्या 52 दिनाँक 22–11–12 के एंवज में निम्नलिखित सामान की खरीद हेतु किया गया।

क0स0	सामान का ब्यौरा	दर	राशि
1	15 stool	290	4350
2	2 table (lab)		5000

उक्त भुगतान के समर्थन में फर्म का रेट कन्ट्रेक्ट अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में भुगतान की गई दरों की पुष्टि नही की जा सकी। अतः रेट कन्ट्रेक्ट प्रस्तुत न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व वाछिंत अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाए।

13 रसायन विज्ञान निधिः—

वाऊचर संख्या 4, दिनाँक 7/12/11 ₹4369/—

महाविद्यालय द्वारा ₹4369/— का भुगतान मैसर्ज दीप डिस्ट्रीब्यूटर्ज पालमपुर को उनके बिल संख्या 16377 दिनाँक 4/10/11 के एंवज में किया गया। इस सन्दर्भ में उक्त खरीद से सम्बन्धित कोटेशने तथा भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति की रसीद (APR) अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई। अतः बिना निविदाऐ प्राप्त किए की गई अनियमित खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए इसके अतिरिक्त वांछित अभिलेख /रसीद भी आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जाए।

14 खेल कुद निधिः—

महाविद्यालय द्वारा वाऊचर संख्या 5 द्वारा मैसर्ज सतीश स्पोर्टस एंड साईनटिफिक वर्कस बनाल से उनके बिल संख्या 80 दिनाँक 18—10—2012 के अन्तर्गत स्पोर्टस के सामान की खरीद करने पर ₹18690/— का भुगतान किया गया। इसमें से ₹890/— का वैट के रूप में भुगतान किया गया जबकि निविदाओं में दी गई दरों पर वैट अतिरिक्त रूप में लेने की कोई शर्त नही थी। इस प्रकार ₹890/— का अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि वापिस सम्बन्धित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 जुर्माना निधिः—

जुर्माना निधि से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में नियमों की अवहेलना करके समान का क्रय किया गया अर्थात महाविद्यालय यह क्रय निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित किए बिना ही किया गया है। इसके अतिरिक्त फर्मो द्वारा पुस्तको व मोमन्टोज इत्यादि की खरीद पर अलग—अलग दर से डिस्काऊट दिया गया है जिसका औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

क0स0	वाऊचर संख्या	दिनाँक	राशि	विवरण
1	2	7—3—09	14356.00	मै0 कुष्ण बुक डिपों पठानकोट से बिल न0 82 दिनाँक 17—2—09 के अन्तर्गत 15%

				डिस्काट पर पुस्तको इत्यादि की खरीद की।
2	3	25–3–10	32341.00	मै0 कृष्ण बुक डिपों पठानकोट से बिल न0 81 व 82 दिनाँक 25–2–10 के अन्तर्गत 10% डिस्काट पर पुस्तको इत्यादि की खरीद की।
3	1	21–3–12	35209.00	मै0 कृष्ण बुक डिपों पठानकोट से बिल न0 79 दिनाँक 24–2–12 के अन्तर्गत 10% डिस्काट पर पुस्तको इत्यादि की खरीद की।
4	2	30–3–12	17157.00	मै0 क्रिएटिव इण्डस्ट्रीज पालमपुर से बिल न0 1771 दिनाँक 2–3–12 के अन्तर्गत मोमेन्टोंज इत्यादि की खरीद की।
5	2	8–3–13	28022.00	मै0 सुभाष बुक डिपो नूरपुर से बिल न0 65,87,,88,89 दिनाँक 25–2–13 के अन्तर्गत 20% डिस्काऊट पर पुस्तको इत्यादि की खरीद की।

16 **अन्य विविधि अनियमितताएः–**

(क) माह 3/10 में वाऊचर संख्या 41 के अन्तर्गत श्री अश्वनी शर्मा प्रवक्ता अग्रेजी को दी गई अग्रिम ₹11950/ का समायोजन किया गया है जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा मै0 रमन टी स्टाल को वार्षिक पुरस्कार समारोह में रिफ्रेशमेन्ट हेतु ₹11950/– का भुगतान किया गया। मै0 रमन टी स्टाल का उक्त बिल टाईपड है। इस प्रकार उचित बिलों के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। अतः इस प्रकारण में वास्तविक व्यय के समर्थन में सही बिल प्राप्त करके के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सही बिलों पर ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) वाऊचर संख्या 52 दिनाँक 30–3–12 के अन्तर्गत ₹35770/– का भुगतान मै0 विणय लाईट एंड टैन्ट हाऊस को उनके बिल सं0 872 दिनाँक 20–3–12 के एवज में पुरस्कार

वितरण समारोह में सामान की आपूर्ति हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि उक्त व्यय से सम्बन्धित निविदाये व तुलनात्मक विवरणी कमेटी के तीसरे सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित नही करवाई गई थी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकरण मे वांछित कार्रवाई अमल में लाते हुये अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ग) वाऊचर संख्या 39 के अर्न्तगत माह 3/10 में श्री अमरजीत सिंह रोल न0 1521 कक्षा वी0ए0III को ₹175/– का भुगतान यात्रा भते के रूप में "Distt Level Anti Ragging Committee at DC Office Dharmshala" में भाग लेने हेतु किया गया। उक्त व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि पत्र संख्या D.D.N-A-KA(3)- 6/2009 दिनाँक 6–6–09 के अनुसार महाविद्यालय की छात्र यूनियन से सम्बन्धित एक प्रतिनिधि द्वारा उक्त प्रयोजन में भाग लेना था परन्तु इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त छात्र की एस0सी0ए0 सदस्यता से सम्बन्धित प्रमाण/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

17. **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रखरखाव में सुधार व कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी (15)11(2) 483/09–खण्ड–2दिनांक, 13.05.2014 शिमला–17009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 प्राचार्य राजकीय आर्य स्नातक महाविद्यालय नूरपुर तहसील नूरपुर जिला काँगडा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।

2 निदेशक शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171001

3 उप सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार 171002

4 श्री मुकेश कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा..............

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.